

18/24

वकील वादी अपस्थित नहीं। वही एवम  
भी अपस्थित नहीं। इनकी अनुपस्थिति वास्तव कोर्ट  
कारण भी वैध नहीं हुआ। बार-बार भावाज  
लागवाई गई। अतः यह वाद पत्र अद्वैत पंखी  
अपम हाजती में खारिज किया जाता है।

प्रावली मेरिय में शुमार की जाकर

नम्बर से नाम ही तथा करीब खामिल होकर  
दाखिल दफ्तर हो

✓

महोदय  
दफ्तर  
15/11/2024